अध्याय-V
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

5.1 प्रस्तावना

राजस्थान का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) राज्य के प्रत्येक घर तक स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह विभाग राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति परियोजनाओं की योजना, अभिकल्पना, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। विभाग भूजल एवं सतही जल संसाधनों के विकास के प्रति भी प्रतिबद्ध है।

शासन सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिसे संयुक्त शासन सचिव, उप शासन सचिव तथा मुख्य अभियंताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता क्रमशः क्षेत्रीय, वृत्तीय एवं खण्डीय स्तर पर विभागीय गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

पीएचईडी में 331 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ थीं, जिनमें से 47 इकाइयों का वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए बिना अतिरिक्त मात्राओं के निष्पादन के प्रकरण (₹ 3.38 करोड़) तथा राज्य राजमार्ग के साथ पाइपलाइन बिछाने की अनुमति लिए बिना किए गए कार्य के कारण हुए अतिरिक्त व्यय (₹1.24 करोड़) के महत्वपूर्ण प्रकरण सामने आए, जिन्हें इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा में कुछ अन्य अनियमिततायें भी पाई गईं, जो उदाहरणस्वरूप हैं और नमूना जांचों पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा ने पूर्व के वर्षों में भी ऐसी ही त्रुटियां इंगित की थी, परंतु ये अनियमिततायें अगली लेखापरीक्षा तक बनी रही। ये अनियमिततायें व्यापक रूप से **तालिका 5.1** में दर्शाई गई श्रेणियों में आती हैं।

तालिका 5.1: वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पायी गई श्रेणीवार अनियमिततायें तथा आपत्ति की गई राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	संवेदकों को पूंजी/रख-रखाव कार्यों के निष्पादन में अनियमित व्यय/अतिरिक्त भुगतान के माध्यम से अनुचित लाभ देना	166	1,748.35
2.	संवेदकों द्वारा कार्य की आनुपातिक प्रगति नही बनाए रखने पर क्षतिपूर्ति आरोपित नही करना तथा आरोपित क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं करना	74	214.62
3.	परिहार्य व्यय	12	67.52
4.	रॉयल्टी/जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की राशि की वसूली नहीं करना/आंशिक वसूली करना	40	12.62
5.	निरर्थक व्यय/सार्वजनिक धन का अवरोध	43	112.66

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
6.	बकाया जल राजस्व की वसूली नही करना	30	82.94
7.	अतिरिक्त/आधिक्य मदों की अनियमित स्वीकृति	22	43.00
8.	अन्य अनियमिततायें	486	432.85
योग		**873**	**2,714.56**

स्रोतः विभाग को जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर संकलित।

5.3 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया गया भुगतान

विभाग ने सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना 50 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त कार्य मात्रा, जिसकी राशि ₹ 3.38 करोड़ थी, का निष्पादन किया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) द्वारा 22 मई 2019 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें विभिन्न अवधियों के दौरान किसी भी मद की निष्पादित मात्रा में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की स्थिति में उस अतिरिक्त मात्रा के भुगतान हेतु "शिड्यूल ऑफ पावर" के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए थे। इस परिपत्र के अनुसार, उक्त अतिरिक्त मात्राओं के निष्पादन के लिए विभिन्न प्राधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक थी।

पीएचईडी ने जुलाई 2013 में 'पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना' के अंतर्गत पैकेज-3ए के लिए एक ठेकेदार को ₹143.50 करोड़ की कार्यादेश जारी किया। यह कार्य मई 2022 में ₹124.20 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण किया गया।

अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना खण्ड पोकरण के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2023) में यह पाया गया कि विभाग ने वित्त समिति/वित्त विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त किए बिना पैकेज-3ए में 50 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त मात्रा का कार्य (₹ 3.38 करोड़ की राशि का) निष्पादित किया, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: विभिन्न अवधियों में 50 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त मात्रा के निष्पादन हेतु आवश्यक अनुमोदन तथा उसके विरुद्ध निष्पादित मात्राओं का विवरण।

अवधि	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जिन प्राधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक थी, उनके नाम।	मद का नाम	निष्पादित मात्रा (प्रतिशत में)
08 मार्च 2017 तथा 22 मार्च 2018	वित्त विभाग	125 मि.मी. डी.आई. के-7 पाइप के लिए खुदाई का कार्य	65.04
		125 मि.मी. डी.आई. के-7 पाइप की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, परीक्षण तथा चालू करने का कार्य	65.04
22 मार्च 2018 के पश्चात	राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन बोर्ड की वित्तीय समिति (पूर्व स्वीकृति के साथ) तथा वित्त विभाग (यदि पूर्व स्वीकृति प्राप्त नही की गई	110 मि.मी. यूपीवीसी पाइप के लिए खुदाई का कार्य	112.69
		110 मि.मी. यूपीवीसी पाइप की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, परीक्षण तथा चालू करने का	112.69

अवधि	राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जिन प्राधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक थी, उनके नाम।	मद का नाम	निष्पादित मात्रा (प्रतिशत में)
	हो)	कार्य	
		वाल्व के लिए आर.सी.सी. चेंबर हेतु जंक्शन बॉक्स (1,500 मि.मी. x 1,200 मि.मी.)	56.52

इसके अतिरिक्त, 22 मार्च 2018 के पश्चात निष्पादित कार्य के लिए यदि पूर्व में स्वीकृति नहीं ली गई हो, तो उक्त परिपत्र के अनुसार संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना था। तथापि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मार्च 2025 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए (मार्च 2025) बताया कि इस प्रकरण में जांच प्रारंभ कर दी गई है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

5.4 आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना स्वच्छ जल मुख्य पाइपलाइन बिछाना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना स्वच्छ जल मुख्य पाइपलाइन बिछाई। इसके परिणामस्वरूप पाइपलाइन को पुनः बिछाने में राजकीय कोष पर ₹ 1.24 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

'पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना' के पैकेज 2बी के समझौता अनुबंध (खंड-II) की धारा 2.4.2 (18) में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा अन्य सड़कों के आर-पार अथवा उनके समानांतर पाइपलाइन बिछाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थायें संवेदक द्वारा की जाएंगी। ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमोदन/अनुमतियाँ प्राप्त करना संवेदक का उत्तरदायित्व था, जबकि पीएचईडी का दायित्व संवेदक को आवश्यक अनुमोदन/अनुमतियाँ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना था।

पीएचईडी ने सितंबर 2012 में एक संवेदक को पैकेज 2बी का कार्यादेश जारी किया। इस कार्य के अंतर्गत संवेदक ने अक्टूबर 2013 में बालोतरा से सिवाना तक एकल मार्गीय राज्य राजमार्ग के साथ स्वच्छ जल मुख्य पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया। यह सड़क मार्च 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित की गई थी।

अधिशाषी अभियंता, पीएचईडी, परियोजना खण्ड बालोतरा के अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2023) में यह पाया गया कि पीएचईडी द्वारा नियुक्त संवेदक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना राज्य राजमार्ग के साथ पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। बाद में, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाड़मेर के अधिशाषी अभियंता ने यह पाया (अगस्त 2015) कि बिछाई गई पाइपलाइन राजमार्ग के *राइट ऑफ वे*[1]

[1] राइट ऑफ वे कुल भूमि की वह चौड़ाई है जो परियोजना राजमार्ग के लिए आवश्यक होती है, जिसमें सड़क मार्ग (कैरेज वे और शोल्डर), साइड ड्रेन, सेवा मार्ग, वृक्षारोपण, उपयोगिताएँ आदि को समायोजित किया जाता है।

क्षेत्र में स्थित थी, अतः उन्होंने पीएचईडी को कार्य बंद करने की सूचना दी। तथापि, संवेदक तथा पीएचईडी ने इस निर्देश की उपेक्षा की और पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी रखा।

इसके उपरांत, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जून 2019 में मूथली गाँव के पास 975 मीटर लंबी पाइपलाइन को हटा दिया, क्योंकि यह सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने के दौरान चौड़ाईकरण के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही थी। आगे, राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज प्रबंधन बोर्ड की वित्तीय समिति ने फरवरी 2022 में पाइपलाइन को पुनः बिछाने के लिए ₹1.24 करोड़ की अनुमानित लागत को स्वीकृति दी, तथा पीएचईडी द्वारा जुलाई 2022 में पाइपलाइन पुनः बिछाई गई। इस प्रकार, आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना पाइपलाइन बिछाने के कारण सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

राज्य सरकार ने (अगस्त 2024 और मार्च 2025 में) अवगत कराया कि पाइपलाइन वर्तमान सड़क के कैरेज वे से सुरक्षित दूरी पर बिछाई गई थी। यह भी उल्लेख किया गया कि कार्य के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

प्रत्युत्तर सार्वजनिक निर्माण विभाग और पीएचईडी के अधिकारियों द्वारा संयुक्त भौतिक निरीक्षण (अगस्त 2015) के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के विपरीत है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पाइपलाइन कार्य अनुचित था और आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना *राइट ऑफ वे* क्षेत्र में निष्पादित किया गया था। इसके अतिरिक्त, सड़क के चौड़ाईकरण के कार्य के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पाइपलाइन को हटाया जाना भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पाइपलाइन मौजूदा सड़क के कैरेज वे से सुरक्षित दूरी पर नहीं बिछाई गई थी।